संख्या-135/2016/1466/नौ-5-14-62बजट/2014

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
मुरादाबाद।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 11 मई, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत पण्डित नगला बाईपास से दौड़ वाला पुलिया तक मुख्य करूला नाला का रिटेनिंग वाल के निर्माण से सम्बन्धित कार्य की निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-900/पी.ए.-2/मु.अभि./न.नि.मु./2015-16, दिनांक 29.03.2015 तथा शासनादेश संख्या-97/2015/1051/नौ-5-2014-62बजट/2014 दिनांक 25 मार्च, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'नगरीय जल निकासी योजना' के अन्तर्गत ***नगर निगम, मुरादाबाद में पण्डित नगला बाईपास से दौड़ वाला पुलिया तक मुख्य करूला नाला का रिटेनिंग वाल के निर्माण*** से सम्बन्धित कार्य के लिये रूपए 200.00 लाख की लागत पर निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि **रूपए 100.00 लाख (रूपए एक करोड़ मात्र)** द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	मुरादाबाद	नगर निगम, मुरादाबाद	पण्डित नगला बाईपास से दौड़ वाला पुलिया तक मुख्य करूला नाला का रिटेनिंग वाल का निर्माण/मुरादाबाद के मुख्य नाले के निर्माण की कार्य योजना।	200.00	100.00	100.00
			योग			**100.00**

(₹ एक करोड़ मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित मण्डल/जनपद के मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा यथाप्रक्रिया प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 03 दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) प्रश्नगत कार्यों हेतु जिन शासनादेशों के माध्यम से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है, उन शासनादेशों में उक्त के अतिरिक्त उल्लिखित शेष शर्ते यथावत् रहेंगी तथा जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक /मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत ***लेखाशीर्षक"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"*** के नामें डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-135/2016/1466 (1)/नौ-5-16-62बजट/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, मुरादाबाद।
3- जिलाधिकारी, मुरादाबाद।
4- कोषाधिकारी, मुरादाबाद।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, 30प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, 30प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- मा0 महापौर, नगर निगम, मुरादाबाद।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-11/05/2016

प्रेषण संख्या:- 135

आवंटन आदेश संख्या:- 001-135-2016-1466-9-5-14-62B-2014

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
191 - नगर निगमों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	मुरादाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 10000000	10000000 10000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	10000000 10000000	10000000 10000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी